न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 71/2016

अंजनी कुमारी वनाम राज्य

–:: आदेश ::–

18.4.18

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी अंजना कुमारी (देवी) के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अपील वाद संख्या 55/13–14 में पारित आदेश ज्ञापांक 816–1 आई०सी०डी०एस०, दिनांक 12.06.2014 में पारित आदेश के विरूद्ध उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में दाखिल किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या 3226 दिनांक 11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में उप निदेशक, कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा से अभिलेख हस्तान्तरित किया गया है।

अपीलार्थी का कहना है कि महिषी प्रखंड के तेलहर वार्ड नंबर– 12, ब्राह्मण टोला– 3, सेन्टर कोर्ड 193 के प्रस्तावित ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविका, सहायिका पद के लिए आवेदिका सहित 9 (नौ) अन्य महिलाओं ने आवेदन किया। दिनांक 28.11.13 को आम सभा में नयन देवी का गलत तरीके से चयन किया गया जिसके विरूद्ध रूबी कुमारी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष अपील वाद 55/2013–14 दाखिल किया। अतः दाखिल अपील वाद को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने गलत ढ़ंग से 12.06.2014 को खारीज कर दिया। फलतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के आदेश से विक्षुब्ध होकर प्रस्तुत, पुनरीक्षण वाद दाखिल किया जा रहा है। अग्रतर आवेदिका का कहना है कि जिला प्रोगाम पदाधिकारी द्वारा आदेश की जानकारी उन्हें पहली नहीं थी। जानकारी होने पर दिनांक 24.11.14 को आदेश की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त कर पुनरीक्षण आवेदन विलम्ब क्षान्ति के अनुरोध के साद दाखिल किया जा रहा है। यह भी कहा गया है कि निम्न न्यायालय का आदेश सर्वथा गलत एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है एवं एक पक्षीय है, जिसमें चयन प्रक्रिया एवं निर्देशिका का अनुपालन नहीं किया गया है, आवेदिका तेलहर वार्ड नंबर– 12 पोषक क्षेत्र की निवासी है, जबकि चयन समिति एवं निम्न न्यायालय द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया। यह संभव है कि आवेदिका का संबंधी अलग जगहों पर रहते हो लेकिन आवेदिका अकेली है और अलग रहती है। आवेदिका के विधवा होने संबंधी तथ्य पर भी न तो चयन समिति ने विचार किया और न ही निम्न न्यायालय ने आवेदिका को 55.71 %, अंक है जबकि नयन देवी को 54.87 %। नयन देवी द्वारा जन्मतिथि को लेकर प्रमाण पत्र में जालसाजी की गयी है जो निम्न न्यायालय अभिलेख के आदेश से भी स्पष्ट होगा, परन्तु इसके बावजूद आवेदिका के चयन पर विचार नहीं किया गया। निदेशिका में निहित स्पष्ट प्रावधान है कि मुखिया के संबंधी का सेविका पद पर नियुक्ति नहीं हो सकती है जबकि श्रीमती विमला देवी पति– त्रिपीत सादा वर्त्तमान में तेलहर पंचायत की मुखिया है। इस तथ्य को भी नजर अंदाज कर दिया गया। भवेश चौधरी एवं इन्द्रानंद चौधरी सरकारी सेवा में है। इसके अतिरिक्त बहुत तथ्य ऐसे है जो सुनवाई के दौरान् उठाये जायेंगे। अन्ततः आवेदिका ने निम्न न्यायालय आदेश को अवैधानिक एवं गलत बतलाते हुए इसे निरस्त करने की याचना की है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख तथा इसके निम्न न्यायालय अभिलेख एवं कागजातों का अवलोकन किया। की गयी पृच्छा पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बतलाया कि वे जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के समक्ष लाये गये अपील वाद 55/2013–14 में पक्षकार नहीं थे। जब आवेदिका अपील वाद में पक्षकार ही नहीं थे तो अपील वाद में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण दाखिल करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

उल्लेखित तथ्यों के आलोक में आवेदिका का पुनरीक्षण वाद (Dismiss) खारीज किया जाता है।

इस निदेश के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

18.4.18

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

18.4.18

जिला पदाधिकारी
सहरसा।